



अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, अजमेर सिटी पावर हाऊस, हाथीभाटा, अजमेर-305001

मैनुअल – 17

अन्य उपयोगी जानकारियाँ

विद्युत कनेक्शन लेने की प्रक्रिया-

विद्युत कनेक्शन लेने के इच्छुक व्यक्ति द्वारा निर्धारित प्रपत्र को पूर्णतः भरकर सम्बन्धित सहायक अभियंता के कार्यालय में निर्धारित राशि सहित प्रस्तुत करना होता है। कनेक्शन लेने का इच्छुक व्यक्ति राशि की जानकारी एवं फार्म भरने आदि में उपभोक्ता लिपिक से सहायता प्राप्त कर सकता है। इसके पश्चात् सहायक अभियंता द्वारा तकनीकी साध्यता के अनुसार तकमीना बनाकर सम्बन्धित व्यक्ति को शेष राशि यदि कोई हो तो उस राशि का मांगपत्र उसके पते पर प्रेषित किया जाता है तथा सम्बन्धित व्यक्ति को मांगी गयी राशि के साथ अपने परिसर में कनेक्शन हेतु फिटिंग का प्रमाण पत्र (एल फार्म) देना होता है। एल फार्म विद्युत निरीक्षक द्वारा अधिकृत एवं अनुज्ञापत्र धारक व्यक्ति/फर्म ही दे सकता है। तत्पश्चात् सहायक अभियंता द्वारा कनेक्शन जारी करने का आदेश सम्बन्धित कनिष्ठ अभियंता को पालनार्थ भेज दिया जाता है। सम्बन्धित कनिष्ठ अभियंता वरीयता के क्रम में विद्युत कनेक्शन स्थापित कर देता है।

विच्छेदित विद्युत कनेक्शन को दुबारा कराने की प्रक्रिया-

स्थायी रूप से विच्छेदित विद्युत कनेक्शन को कनेक्शन विच्छेद करने के पश्चात् निम्न अवधि में पुनः जुड़वाया जा सकता है-

1. कृषि श्रेणी उपभोक्ता – 15 वर्ष
2. अन्य उपभोक्ता – 2 वर्ष

इस अवधि में विद्युत उपभोक्ता को निश्चित प्रपत्र में पुनः कनेक्शन हेतु सम्बन्धित सहायक अभियंता के कार्यालय में अपनी खाता संख्या, सर्विस संख्या व श्रेणी का उल्लेख करते हुए आवेदन करना होता है। यह प्रपत्र सहायक अभियंता कार्यालय में उपलब्ध होता है। कनेक्शन को दुबारा जारी करने के लिये जयपुर डिस्कॉम श्रेणी अनुसार निर्धारित फीस लेता है। निम्न दाब (एल.टी.) उपभोक्ताओं से सिंगल फेज एवं थ्री फेज हेतु पुनः कनेक्शन शुल्क क्रमशः 200 रुपये एवं 500 रुपये निर्धारित है। अन्य श्रेणियों की जानकारी सहायक अभियंता कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

विद्युत कनेक्शन विच्छेद कराने की प्रक्रिया-

विद्युत कनेक्शन का विच्छेदन कनेक्शन जारी होने के एक वर्ष की अवधि के पूरा होने के पश्चात् एक माह का नोटिस देते हुए करवाया जा सकता है। एक साल से पहले विद्युत कनेक्शन विच्छेद करवाने के लिये एक वर्ष पूरा होने से शेष रही अवधि की न्यूनतम राशि का भुगतान करना होता है।

विद्युत कनेक्शन विच्छेद कराने हेतु सम्बन्धित सहायक अभियंता कार्यालय में प्रार्थना पत्र देकर अपनी संपूर्ण देय राशि का भुगतान करना होता है। अंतिम भुगतान करते समय उपभोक्ता की जमा प्रतिभूति का भी समायोजन कर दिया जाता है। इस कार्य की कोई फीस नहीं ली जाती है।

विद्युत भार बढ़वाने/घटवाने की प्रक्रिया-

विद्युत उपभोक्ता अपने स्वीकृत विद्युत भार को आवश्यकतानुसार बढ़वा/घटवा सकता है परंतु विद्युत भार प्रारंभिक एक वर्ष की अवधि में घटवा नहीं सकता है।

विद्युत भार बढ़वाने अथवा घटवाने के लिये उसे सम्बन्धित सहायक अभियंता कार्यालय में निश्चित प्रपत्र में अपने पूर्ण विवरण यथा- श्रेणी, खाता संख्या, स्वीकृत विद्युत भार, वांछित विद्युत भार आदि सहित आवेदन कर सकता है। इसके लिये सहायक अभियंता कार्यालय द्वारा तकनीकी साध्यता की जांच कर तदनुसार मांगपत्र जारी किया जाता है। यदि श्रेणी परिवर्तन होता है तो उसे श्रेणी के अनुसार प्रतिभूति एवं अन्य मदों पर देय राशि का भुगतान करना होता है। यदि श्रेणी परिवर्तन नहीं होता है तो केवल प्रतिभूति राशि का अंतर देय होता है।

यदि विद्युत उपभोक्ता स्वीकृत भार से वांछित विद्युत भार के अंतर का 500 रुपये प्रति किलोवाट/एच.पी. /के.वी.ए. की दर से पूर्ण रूप से आवेदन प्रपत्र भरकर एल फार्म के साथ सम्बन्धित सहायक अभियंता कार्यालय में जमा करवा देता है तथा सहायक अभियंता से उसे किसी तरह की सूचना/स्वीकृति प्राप्त नहीं होती है तथा वह अन्य शर्तों को पूरी करता हो तो 30 दिन पश्चात् स्वतः विद्युत भार बढ़ा हुआ मान लिया जायेगा।

विद्युत मीटर की जांच करवाने की प्रक्रिया-

यदि उपभोक्ता अपने विद्युत मीटर की दक्षता से संतुष्ट नहीं है तो वह अपने विद्युत मीटर की जांच करवा सकता है। इसके लिये उसे सादा कागज पर अथवा मिसलेनियस एक्टिविटीज के लिये निर्धारित प्रपत्र पर निर्धारित फीस के साथ आवेदन करना होता है। इस हेतु निम्नदाब (एल.टी.) उपभोक्ता को सिंगल फेज मीटर हेतु 35.00 रुपये तथा थ्री फेज मीटर हेतु 70.00 रुपये शुल्क जमा करवाने होते हैं। अन्य श्रेणियों के लिये अलग-अलग शुल्क निर्धारित हैं जिनका विवरण सम्बन्धित कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।

खातेदार का नाम बदलवाने की प्रक्रिया-

यदि कोई विद्युत उपभोक्ता अपने आवासीय/औद्योगिक परिसर को बेच देता है तो क्रेता को नियमानुसार विद्युत कनेक्शन अपने नाम करवाने की सुविधा दी जाती है। इस हेतु क्रेता को सम्पत्ति क्रय करने का प्रमाण, निर्धारित आवेदन पत्र, आवेदन शुल्क तथा प्रतिभूति राशि का अंतर सहायक अभियंता कार्यालय में जमा करवाना होता है।

सामान्य शिकायतें दर्ज करवाने की प्रक्रिया-

विद्युत उपभोक्ता अपने परिसर में आने वाली विद्युत आपूर्ति के बाधित होने पर अपनी शिकायतें दर्ज करवा सकता है। इसके लिये अजमेर नगर, में कॉल सेंटर की व्यवस्था की गयी है। अजमेर नगर के समस्त विद्युत उपभोक्ता दूरभाष संख्या 2623449 पर अपनी शिकायतें दर्ज करवा सकते हैं। जहाँ कॉल सेंटर स्थापित नहीं किये गये हैं वहाँ अलग-अलग क्षेत्रों में उपभोक्ता शिकायत केंद्र स्थापित किये गये हैं जिन पर व्यक्तिशः अथवा दूरभाष पर सम्पर्क किया जा सकता है।

टैरिफ का निर्धारण-

अजमेर डिस्कॉम द्वारा अपने उपभोक्ताओं से वसूल की जाने वाली टैरिफ का निर्धारण राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग द्वारा व्यापक जनसुनवाई के पश्चात किया जाता है। टैरिफ की सूचना के लिये अलग से "टैरिफ फॉर सप्लाई ऑफ इलैक्ट्रीसिटी" नामक पुस्तिका प्रकाशित की जाती है।

क्या कोई उपभोक्ता अपने आवासीय परिसर में स्थापित वाणिज्यिक संस्थान में घरेलू श्रेणी विद्युत कनेक्शन से विद्युत उपभोग कर सकता है ?

अजमेर डिस्कॉम द्वारा अपने उपभोक्ताओं को यह सुविधा दी गयी है कि वे उन मामलों में अपने आवासीय

परिसर में लगे घरेलू श्रेणी विद्युत कनेक्शन से आवासीय परिसर में स्थित वाणिज्यिक संस्थान/दुकान/ औद्योगिक इकाई में विद्युत का उपभोग कर सकता है जिनमें कि—

- (1.) वाणिज्यिक संस्थान/दुकान/औद्योगिक गतिविधि में कुल विद्युत भार 2 किलोवाट से कम हो।
- (2.) उस आवासीय परिसर की पंक्ति में तथा उसके सामने वाली पंक्ति में स्थित भवनों में दुकानो/वाणिज्यिक संस्थानों की संख्या कुल मकानों की 25 प्रतिशत अथवा उससे कम हो तथा
- (3.) वाणिज्यिक संस्थान/दुकान/औद्योगिक इकाई को केवल घर के सदस्य ही मिलकर चलाते हों तथा कोई भी कर्मचारी नियुक्त न हो।

क्या कोई उपभोक्ता अपने आवासीय परिसर में घरेलू श्रेणी में दो विद्युत कनेक्शन प्राप्त कर सकता है ?

अजमेर डिस्कॉम अपने उपभोक्ताओं को एक आवासीय परिसर में एक नाम से एक ही घरेलू श्रेणी विद्युत कनेक्शन की सुविधा देता है। एक ही आवासीय परिसर में एक से अधिक परिवार रहते हों तो मकान मालिक की सहमति से अन्य परिवार/परिवारों को भी घरेलू श्रेणी विद्युत कनेक्शन दे सकता है। यदि आवासीय परिसर में वाणिज्यिक संस्थान/दुकान/औद्योगिक संस्थान स्थापित है तो उसके लिये अघरेलू श्रेणी का एक और कनेक्शन लिया जा सकता है।

अजमेर डिस्कॉम द्वारा किये जाने वाले पंजीकरण—

अजमेर डिस्कॉम द्वारा तीन तरह के पंजीकरण किये जाते हैं जिनका विवरण निम्न प्रकार से है—

1. **संविदा पर कार्य करने वाले ठेकेदारों का पंजीकरण**— यह पंजीकरण मुख्यालय, मुख्य अभियंता कार्यालय तथा विभिन्न अधीक्षण अभियंताओं के कार्यालयों द्वारा किया जाता है। पंजीकृत होने वाले ठेकेदारों से नियमानुसार पंजीकरण राशि/प्रतिभूति ली जाती है। पंजीकृत होने वाले ठेकेदार को निविदा भरते समय धरोहर राशि में नियमानुसार छूट होती है।
2. **विभिन्न श्रेणियों के आपूर्तिकर्ताओं का पंजीकरण**— यह पंजीकरण मुख्यालय, मुख्य अभियंता कार्यालय तथा विभिन्न अधीक्षण अभियंताओं के कार्यालयों द्वारा किया जाता है। पंजीकृत होने वाले ठेकेदारों से नियमानुसार पंजीकरण राशि/प्रतिभूति ली जाती है। पंजीकृत होने वाले ठेकेदार को निविदा भरते समय धरोहर राशि में नियमानुसार छूट होती है।
3. **विद्युत चोरी की सूचना देने वाले इन्फॉर्मर्स का पंजीकरण**— अजमेर डिस्कॉम कार्यक्षेत्र में स्थित विद्युत उपभोक्तों के यहाँ हो रही विद्युत चोरी की सूचना देने वाले व्यक्तियों को वसूल की गयी राशि का दस प्रतिशत अधिकतम पन्द्रह हजार रुपये प्रति प्रकरण नियमानुसार प्रोत्साहन राशि दी जाती है। इस हेतु सूचना दाता संभागीय मुख्य अभियंता/संबंधित अधीक्षण अभियंता/अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सर्तकता के कार्यालय में तथा विभिन्न सहायक अभियंताओं के कार्यालयों में सूचना दे सकता है। सूचना दाता का नाम, पता एवं पहचान गुप्त रखी जाती है।
4. **विज्ञापन एजेंसियों का पंजीकरण**— अजमेर डिस्कॉम के जनसम्पर्क कार्यालय द्वारा विभिन्न निविदा सूचनाओं/विज्ञापनों का प्रकाशन करवाने के लिये आई.एन.एस एग्रीडेटेड एजेंसियों का पंजीकरण

किया जाता है। इसके लिये ऐजेंसी को पचास हजार रुपये की प्रतिभूति जयपुर डिस्कॉम में जमा करवानी होती है।

अन्य जानकारी-

मीटर की धरोहर राशि, मीटर बॉक्स की कीमत, ट्रांसफॉर्मर का किराया, रीसीलिंग चार्ज, विभिन्न कार्यों के लिये प्रार्थना पत्र शुल्क, प्रार्थना पत्र के साथ जमा करवाई जाने वाली राशि, धरोहर राशि, डुप्लीकेट बिल जारी करवाने का शुल्क, अन्य नियमों आदि की जानकारियों एवं विभिन्न कार्यों हेतु देय शुल्क की संपूर्ण जानकारी हेतु अजमेर डिस्कॉम द्वारा "टर्म्स एण्ड कण्डीशन्स फॉर सप्लाई ऑफ इलैक्ट्रीसिटी- 2004" का प्रकाशन करवाया गया है जिसे सांकेतिक मूल्य (वर्तमान में 30.00) पर आम जन को उपलब्ध करवाया जाता है।

लोक प्राधिकरण से जनमानस द्वारा सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रश्न व उनके उत्तर ।

1. विद्युत कनेक्शन बाबत
2. विद्युत कटौती के संबंध में
3. विद्युत बिल ज्यादा आने के संबंध में
4. गांवों के विद्युतीकरण बाबत
5. विद्युत तंत्र में सुधार बाबत
6. वोल्टेज व्यवधान बाबत

सूचना प्राप्त करने के संबंध में

- आवेदन पत्र का प्रारूप

- 1 आवेदक का नाम
- 2 पता
- 3 सूचना की विशिष्टियां
 - (1) उस विभाग के कार्यालय का नाम जिससे संबंधित है
 - (2) सूचना की प्रकृति
 - (3) सूचना का पूर्ण ब्यौरा
 - (4) क्या फीस के संदाय का सबूत संलग्न कर दिया गया है

बैंकर्स चैक, मांग पत्र, पोस्टल आर्डर का विवरण

1. क्रमांक
2. जारी किये गये बैंक का नाम
3. राशि सूचना प्राप्त करने वाले हस्ताक्षर मय दिनांक

सूचना प्राप्त करने वाले हस्ताक्षर
मय दिनांक

आवेदक की पात्रता : बिजली कनेक्शन लेने हेतु आवेदनकर्ता द्वारा निगम द्वारा जारी मांग पत्र की राशि जमा कराने व आवेदनकर्ता को बिजली की लाईसेंसधारी ठेकेदार से फिटिंग करवाकर प्रमाण पत्र (फॉर्म) देने के पश्चात कनेक्शन जारी किया जाता है ।

पूर्वापेक्षाएं (यदि हो तो) :

आवेदन करने के लिये कहां/किससे सम्पर्क करें : आवेदन करने के लिए संबंधित सहायक अभियन्ता (पवस/ग्रामीण) के कार्यालय में सम्पर्क करें ।

आवेदन शुल्क (जहां उचित हो) आवेदन शुल्क विभिन्न प्रकार की श्रेणियों के लिए संबंधित सहायक अभियन्ता के कार्यालय में जमा कराना होगा :

1. आवेदन शुल्क

एल.टी.विद्युत सप्लाई के लिए:-

(अ) कृषि कनेक्शन के लिए सामान्य श्रेणी हेतु 75/- रुपये व विशेष श्रेणी के लिए 250/- रुपये प्रार्थना पत्र शुल्क है तथा प्रार्थना पत्र के साथ अग्रिम राशि सामान्य श्रेणी के लिए 2500/- रुपये व अनुसूचित जाति,जनजाति उपयोजना क्षेत्र की अनुसूचित जनजाति और सहरिया क्षेत्र के पंचायत समिति के अनुसूचित जाति के लिए 250/- रुपये तथा विशेष श्रेणी के लिए 5000/- रुपये अग्रिम राशि जमा करायी जाएगी।

अग्रिम राशि मांग पत्र में समायोजित की जाएगी

(ब) एल.टी.सिंगल फेस----- रुपये 200/-

एल.टी.तीन फेस----- रुपये 500/-

एस.टी.विद्युत सप्लाई के लिए :-

(अ) 11के.वी. के लिए-----रुपये 1000/-

(ब) 33के.वी. के लिए-----रुपये 2000/-

(स) 132के.वी. के लिए-----रुपये 4000/-

(द) 220के.वी. के लिए-----रुपये 4000/-

अन्य शुल्क/देय (जहां उचित हो) (1) कृषि कनेक्शन के लिए मांग पत्र की राशि:-

(अ) सामान्य श्रेणी

10 हॉर्स पावर तक-रुपये 2500/-प्र.हॉ.पा

10 हॉर्स पावर से अधिक परन्तु 20 हॉ.पा तक-रुपये 1000/-प्र.हॉ.पा

अतिरिक्त 20 हॉर्स पावर से अधिक रुपये 750/-प्र.हॉ.पा अतिरिक्त

उपरोक्तानुसार राशि एवं अमानता राशि का मांग पत्र जारी किया जाएगा ।

(ब) विशेष श्रेणी

1. 11के.वी./एलटी लाइन रु 100/- प्रति मीटर रु. 2000/- प्रति पोल। (यदि 90 मीटर स्पॉन पर एक पोल लगता है तो चार्जज 9000/- + 2000/- = 11000 रु होगी)

2. एलटी लाइन को 11केवी में बदलने के लिए रु 55/-प्रति मीटर ।

3. सिंगल फेस को थ्री फेस करने के लिए रु 75/- प्रति मीटर । जिन मामलों में केवल सर्विस लाइन लगानी है या कुएं पर एक ही पोल लगाना है उन्हे भी एक पोल की कीमत रु. 11,000 देनी होगी ।

4. सब स्टेशन/ट्रांस फार्मेशन चार्जज विशेष श्रेणी में सब स्टेशन/ ट्रांसफार्मेशन चार्जज रु. 1450/- प्रति हॉर्स 5 पावर मांग पत्र के साथ लिये जावेंगे जिसको वापिस नहीं किया जायेगा ।

5. सर्विस सर्विसस कनेक्शन चार्जज विशेष श्रेणी के कृषि आवेदको के लिए निम्नलिखित राशि ली जायेगी :-

10 हॉ.पा. तक रू. 1750 /—

10 हॉ.पा. से अधिक रू.2200 /—

(2) **(A) राशि जो आवेदन पत्र के साथ जमा कराई जाएगी :-**

(1) एल.टी.विद्युत सप्लाई के लिए :-

क्र स

उपभोक्ता की श्रेणी

जमा कराने की राशि (रू.)

1

घरेलू

जनजाति उपयोजना क्षेत्र-750 /—

ग्रामीण 1500 /—

कच्ची बस्ती 2000 /—

शहरी 3000 /—

2

अघरेलू

ग्रामीण

भार 1 कि.वा.तक—2000 रू.

भार 1 कि.वा.—5 कि.वा.—3000 रू.

भार 5 कि.वा.—10 कि.वा.—5000 रू.

भार 10 कि.वा. से अधिक के लिए रू. 250 /— अतिरिक्त प्र.कि.वा. या अंश के लिए लिए जाएंगें

शहरी

भार 1 कि.वा.तक—3000 रू.

भार 1 कि.वा.—5 कि.वा.—4000 रू.

भार 5 कि.वा.—10 कि.वा.—6000 रू.

भार 10 कि.वा. से अधिक के लिए रू. 250 /— अतिरिक्त प्र.कि.वा. या अंश के लिए लिए जाएंगें

आवेदन पत्र का प्रारूप (यदि आवेदन सादे कागज पर होता है तो कृपया उसका उल्लेख करते हुए व बताए कि आवेदन करते समय किन बातों का वर्णन करें)

आवेदन पत्र का प्रारूप निम्नांकित है जो कि सहायक अभियन्ता कार्यालय में निःशुल्क उपलब्ध रहता है । प्रारूप के साथ ही अन्य जानकारी का विवरण भी प्रस्तुत है ।

अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
नये विद्युत सम्बन्ध के लिए आवेदन/अनुबन्ध प्रपत्र

(वित्त विभाग के आदेश क्र. एफ 1 (24) वित्त/शुल्क 196 दि. 19.04.04 के अनुसारण में समेकित
स्टाम्प ड्यूटी जमा)

श्रीमान् सहायक अभियन्ता

.....उप खण्ड

अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

.....

1. आवेदक का नाम :-.....

2. पिता/पति का नाम :-.....

3. पूरा पता :-.....

.....

.....

4. टेलीफोन नम्बर :-.....

5. मोबाइल नम्बर :-.....

6. कनेक्शन की श्रेणी :- घरेलू अघरेलू (दुकान, कार्यालय, होटल, मंदिर,
अस्पताल, स्कूल इत्यादि हेतु)

7. आवेदक की स्थिति :- मकान मालिक किराएदार

8. आवेदित सम्बद्ध भार :- किलोवाट

(सहायता हेतु पीछे क्रम संख्या 1 देखे)

9. आवेदक द्वारा जमा कराई गई राशि :-

(सहायता हेतु पीछे क्रम संख्या 2 देखे)

(i) प्रार्थना पत्र शुल्क (ii) स्टाम्प ड्यूटी शुल्क

(iii) मीटर बॉक्स कीमत..... (iv) मीटर सुरक्षा राशि

(v) सुरक्षा राशि..... (vi) सरकारी आवास में रह रहे कर्मचारी हेतु उपरोक्त

(vii) सर्विस कनेक्शन शुल्क..... (iv) एवं (v) (viii) अन्य कोई.....के स्थान पर सुरक्षा राशि

कुल योग रूपए

.....

10. संलग्न दस्तावेज :- एल फार्म किरायेदार होने पर अनुबन्ध पत्र

मकान मालिक होने पर

(सहायता हेतु पीछे क्रम संख्या 3 देखें तथा जो अथवा क्षतिपूर्ति बंध पत्र भवन/परिसर के स्वामित्व के प्रमाण हेतु जो दस्तावेज लागू हो उस पर सही का निशान लगावें)

11. मैंने इस आवेदन/अनुबन्ध प्रपत्र के पीछे लिखी सभी शर्तें पढ़ एवं समझ ली है इन सभी शर्तों से मैं सहमत हूँ कि MD परिसर में कोई बकाया राशि निकलने पर मैं इसे जमा कराने को तैयार हूँ तथा इस प्रार्थना पत्र में कोई भी गलत सूचना देने पर अनुबंध को रद्द किया जा सकता है एवं यदि विद्युत सम्बंध दे दिया गया है तो, इस आधार पर विद्युत सम्बंध काटा जा सकेगा।

साक्षी के हस्ताक्षर

नाम :-

आवेदक के हस्ताक्षर

नाम :-

पता :-
दिनांक

पता :-

प्राप्ति रसीद

रु. रसीद संख्या दिनांक से प्राप्त किये।

प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर